राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें (आई.ई.सी.) राजस्थान जयपुर

दूरभाष नं. 0141–2222817

क्रमांकः– आई.ई.सी. / स्टोर / 2025 / 230 दिनांकः– 28/7/2025

नीलामी सूचना

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय में अनुपयोगी / नकारा सामग्री जिसमें फर्नीचर, इलैक्ट्रीक आईटम एवं अन्य सामान शामिल है, की नीलामी जहॉ है जैसी है, स्थिति में की जानी है। नीलामी दिनांक 21.08.2025 को प्रातः 11:30 बजे उपस्थित प्रस्तावकों, खरीदारों, के सम्मुख की जावेगी। उक्त सामग्री का पुस्तक मूल्य लगभग रू. 4,20,000 / – है। इच्छुक खरीददार नीलामी तिथि को राशि 8400 / – का डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक बतौर धरोधर राशि ज़मा करवाकर नीलामी में शामिल हो सकते हैं। नीलामी की शर्तें तथा सामग्री की जानकारी सहायक निदेशक (आई.ई. सी.) कमरा नं. 207 में कार्यालय समय में कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

स्थानः आई.ई.सी. स्टोर रूम, स्वास्थ्य भवन परिसर, जयपुर।

निदेशक
(आई.ई.सी.)
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें (आई.ई.सी.) राजस्थान जयपुर
दूरभाष नं. 0141–2222817

नियम एवं शर्ते – अनुपयोगी/नकारा सामग्री की नीलामी बाबत्।

1. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के रूप में ही स्वीकृत की जावेगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निदेशक आईईसी के नाम के पक्ष में जारी करवाया जावेगा।
2. नीलामी की सामग्री पर जीएसटी/अन्य कर की राशि खरीददार को वहन करनी होगी।
3. नीलामी की बोली छुटने के उपरान्त नीलामी दाता द्वारा सम्पूर्ण राशि एक मुश्त उसी तिथि को जमा करवानी होगी।
4. सफल बोली दाता द्वारा दिनांक 23.08.2025 (शनिवार) को सामग्री अपने स्तर से, स्वयं के साधनों से एवं स्वयं के खर्चे से लेकर जानी होगी।
5. निर्धारित तिथि पर सामान नहीं हटाने पर नीलामी राशि का 5 प्रतिशत प्रति सप्ताह जुर्माना वसूल किया जावेगा।
6. नीलामी बोली में सामान का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने पर नीलामी निरस्त करने का अधिकार अथवा अगले कार्य दिवस पर नीलामी पुनः करवाने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में नीलामी समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
8. अन्य शर्तें जी.एफ एण्ड ए.आर पार्ट – 2 एवं आरटीपीपी नियम 2013 के अध्यधीन होगी।